संख्या-4/2025/बी-3-140/दस-2025-100(9)/88

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2025

विषय:- राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य भवन निर्माण/क्रय एवं भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम की धनराशियों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-1875/दस-2006-100(9)/88, दिनांक 23 अगस्त, 2006 सपठित शासनादेश संख्या बी-3-1973 /दस-2010-100(9)/88, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय तथा भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता एवं अनुमन्यता निर्धारित की जाती है:-

1- भवन निर्माण/क्रय अग्रिम:-

पात्रता-	नियमित रूप से नियुक्त समस्त कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
अनुमन्यता-	34 माह का मूल वेतन या अधिकतम रूपये 25.00 लाख अथवा भवन की लागत, जो भी कम हो। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों में होगी।
भवन की लागत सीमा-	मूल वेतन का 139 गुना और अधिकतम रूपये 1.00 करोड़ लेकिन यदि प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट मामले में संतुष्ट है तो वह उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करके उक्त निर्धारित सीमा में अधिकतम 24 प्रतिशत तक की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

2- भवन विस्तार/मरम्मत अग्रिम:-

पात्रता- नियमित रूप से नियुक्त समस्त कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो।

अनुमन्यता- 34 माह का मूल वेतन या अधिकतम रूपये 10.00 लाख अथवा भवन मरम्मत/विस्तार की लागत, जो भी कम हो। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किश्तों में होगी।

टिप्पणी:- (1) मूलवेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स में मूलवेतन से है।

(2) अग्रिम की वास्तविक रूप से देय राशि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/ विस्तार की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी।

3- प्रतिदान हेतु क्षमता :-

आवेदक राज्य कर्मचारी की प्रतिदान हेतु क्षमता निम्न आधार पर ऑकी जायेगी:-

(क)	20 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूलवेतन का 40 प्रतिशत
(ख)	10 वर्ष के पश्चात किन्तु 20 वर्ष के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूलवेतन का 40 प्रतिशत अथवा अधिवर्षता आनुतोषिक के 65 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूलवेतन का 40 प्रतिशत
(ग)	10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूलवेतन का 50 प्रतिशत या अधिवर्षता आनुतोषिक के 75 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूलवेतन का 50 प्रतिशत

प्रतिदान हेतु क्षमता का आशय यह है कि प्रस्तावित अग्रिम की प्रतिदान हेतु मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब की राशि से अधिक नहीं हागी। जिन मामलों में प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर (1) तथा (2) के अनुसार अनुमन्य अग्रिम के आधार पर मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब से अधिक आगणित हो रही हो, उनमें स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि उस सीमा तक कम कर दी जायेगी, जिसके आधार पर प्रतिदान हेतु मासिक किश्त की राशि ऊर निर्धारित स्लैब से अनधिक हो जाय।

टिप्पणी:-

1- किसी कर्मचारी की देय प्रतिदान क्षमता निर्धारित करते हुए यह भी देख जायेगा कि स्वीकृत अग्रिम की वसूली हेतु जो किश्तों की राशि निर्धारित की जा रही हो उसे सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से पहले से की जा रही कटौतियों के परिप्रेक्ष्य में वसूल करना सम्भव हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2- ग्रेच्युटी से उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जब कर्मचारी उक्त आशय का लिखित अनुरोध करे।

3- अधिवर्षता आनुतोषिक की गणना उस काल्पनिक मूलवेतन के आधार पर की जायेगी, जो सम्बन्धित कर्मचारी अपनी अधिवर्षता के समय वर्तमान वेतनमान में अर्हकारी सेवा पूरी करने पर आहरित करेगा। यदि भविष्य में ग्रेच्युटी की धनराशि में पुनरीक्षण के फलस्वरूप कोई वृद्धि हो जाती है तो ग्रेच्युटी में ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर पूर्व में स्वीकृत अग्रिम की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

2- भवन निर्माण अग्रिम की वसूली की पद्धति मूलधन वसूली की मौजूदा पद्धति के अनुसार जारी रहेगी जो पहले 15 वर्षो में वसूल किया जायेगा, जिसकी किश्तें 180 मासिक किश्तों से अधिक नहीं होगी और उसके बाद अगले पांच वर्षो में ब्याज वसूल किया जायेगा जिसकी अवधि 60 किश्तों से अधिक नहीं होगी। पहली किस्त के भुगतान की तारीख से अग्रिम पर साधारण ब्याज लिया जायेगा।

3- ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति मे कर्मचारी द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षो में लिये गये भवन निर्माण अग्रिम की दूसरी अथवा बाद की किश्तों के मामले में, ब्याज की लागू दर उस वर्ष की होगी जिस वर्ष भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति दी गई थी।

4- जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आहरित की जा चुकी है उन्हे इस शासनोदश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपन नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पूर्व स्वीकृत तथा आंशिक अथवा पूर्णरूप से अवमुक्त अग्रिम की कोई धनराशि इस आदेश के जारी होने के पूर्व आहरित नहीं की गई है, तो ऐसे मामलों में पूर्व निर्गत स्वीकृति आदेशों को संशोधित करते हुए इस आदेश के अनुसार अग्रिम स्वीकृत किये जा सकेंगे।

5- यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

6- शासनादेश संख्या बी-3-1973 /दस-2010-100(9)/88, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 को उक्त तिथि से अवक्रमित समझा जायेगा।

7- वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

8- जहॉ तक अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य संवर्ग के अधिकारियों को भवन निर्माण/क्रय एवं भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने का प्रश्न है, चूँकि यह अधिकारी " दि आल इण्डिया सर्विसेज "(हाउस बिल्डिंग एडवान्स) रूल्स, 1978" से शासित होते हैं। अत: इन्हें भवन निर्माण/क्रय एवं भवन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

मरम्मत/विस्तार अग्रिम उक्त नियमावली (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। उक्त नियमावली के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केन्द्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये लागू नियमों के अंतर्गत अग्रिम प्राप्त करने के पात्र होंगे। परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत अग्रिम हेतु आवेदन कर सकते है। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार के नियमों एवं शर्तों के अधीन उन्हें अग्रिम स्वीकृत किये जा सकेंगे।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-4/2025/बी-3-140/दस-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।
6- राज्यपाल सचिवालय।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 मे आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।